

// कारण बताओ नोटिस //

दल सं०-230593038 कॉन्सटेबल (जी०डी०) (रिक्लूट) रॉयल देववर्मा, सुपुत्र श्री रजेश देववर्मा
ग्राम-सोनाराम प्रारा, पो०ओ०-सोनाराम बजार, पुलिस स्टेशन-शिधाई, जिला-पश्चिम त्रिपुरा, राज्य-त्रिपुरा 799212
द्वारा दिनांक 29.09.23 को कैंप परिसर आर०टी०सी०, किमिन (अरुणाचल प्रदेश) से अनुपस्थित चल रहा है।
सम्बन्धित कार्यालय के ज्ञापन संख्या-3371 दिनांक-01.10.23 के तहत निर्देशित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा
अपनी आमद वाहिनी मुख्यालय में नहीं दी गई हैं। आपके लगातार अनुपस्थित रहने के कारण 59वीं वाहिनी के
कार्यालय आदेश संख्या 563-81 दिनांक-23.02.24 के तहत आपको तिथि 29.09.23 से बल से "भगौडा" घोषित
किये जाने का आदेश जारी किया गया है।

2. दल सं०-230593038 कॉन्सटेबल (जी०डी०) (रिक्लूट) रॉयल देववर्मा, सुपुत्र श्री रजेश देववर्मा, को इस
नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप इस
नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर 59वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस, पत्रालय-भालूकपोंग,
जिला-सोनितपुर (असम)-784103 में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप इस बल
में आगे सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं तथा भा०ति०सी०पुलिस बल अधिनियम 1992 एवं भा०ति०सी०पुलिस बल
नियमावली 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

सेनानी
59वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस
23/09/24

CBC- 1912/11/0013/2425